उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

127. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (कक) में, " स्वर्ण (नियंत्रण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर " सेवा-कर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (च) के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) जो तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में किसी यूनिट आधान में ऐसे माल की पैकिंग या पुनर्पैकिंग, आधानों पर लेबल लगाने या पुनर्लेबल लगाने के लिए, जिसके अन्तर्गत आधान पर फुटकर विक्रय कीमत की घोषणा या उस पर फुटकर विक्रय कीमत का परिवर्तन या उपभोक्ता के लिए उत्पाद को विपणनीय बनाने के लिए कोई अन्य उपचार अपनाना भी है।" ।

128. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" **स्पष्टीकरण**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा विक्रीत उत्पाद-शुल्क्य माल का कीमत-सह शुल्क वह कीमत होगी जो विक्रीत माल के लिए उसको वास्तव में संदत्त की गई है और ऐसे माल के विक्रय के संबंध में क्रेता से निर्धारिती को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अंतरित किए जाने वाले अतिरिक्त प्रतिफल का, यदि कोई है, धन मूल्य होगा और ऐसे कीमत-सह शुल्क में, जिसके अंतर्गत विक्रय कर और अन्य कर, यदि वास्तव में संदत्त किए गए हैं, नहीं हैं, ऐसे माल के विक्रय के संबंध में संदेय शुल्क भी सम्मिलित होना समझा जाएगा।";

(ख) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) में,—

(अ) उपखंड (ii) में, "शुल्क के संदाय," शब्दों के स्थान पर "शुल्क के संदाय;" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) कोई डिपो, पारेषण अभिकर्ता का परिसर या कोई अन्य स्थान या ऐसा परिसर जिसमें उत्पाद-शुल्क्य माल, उनकी कारखाने से निकासी के पश्चात् विक्रय किए जाने हैं ।";

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(गग) खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट हटाने के स्थान से हटाए गए उत्पाद-शुल्क्य माल की बाबत "हटाने का समय" वह समय समझा जाएगा जिस पर ऐसा माल कारखाने से निकासी किया गया था ;' ।

129. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 4क का संशोधन।

'(4) जहां उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई माल उत्पाद-शुल्क्य माल है और विनिर्माता—

(क) पैकेजों पर ऐसे माल की फुटकर विक्रय कीमत की घोषणा किए बिना ऐसे माल को विनिर्माण के स्थल से हटाता है या ऐसी विक्रय कीमत घोषित करता है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों या अन्य विधि के उपबंधों के अधीन घोषित किए जाने के लिए अपेक्षित फुटकर विक्रय कीमत नहीं है ; या

(ख) विनिर्माण के स्थान से उनके हटाए जाने के पश्चात् ऐसे माल के पैकेजों पर घोषित फुटकर विक्रय कीमत में गड़बड़ी करने के साथ उसे मिटा देता है या उसमें परिवर्तन करता है,

तो ऐसा माल अधिहरण के लिए दायी होगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसे माल की फुटकर विक्रय कीमत विहित रीति में अभिनिश्चित कर सकेगी और इस प्रकार अभिनिश्चित की गई फुटकर विक्रय कीमत इस धारा के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1 — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "फुटकर विक्रय कीमत" से वह अधिकतम कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैकेज बंद रूप में उत्पाद-शुल्क्य माल अंतिम उपभोक्ता को बेचा जा सकता है और उसके अंतर्गत सभी कर, स्थानीय या अन्यथा,

भाड़ा, परिवहन प्रभार, व्यवहारी को संदेय कमीशन और विज्ञापन, परिदान, पैकिंग, अग्रेषण और इसी प्रकार के सभी प्रभार होंगे तथा कीमत ऐसे विक्रय के लिए एकमात्र प्रतिफल है :

परंतु यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों या अन्य विधि के उपबंधों में किसी कर, स्थानीय या अन्यथा को छोड़कर फुटकर विक्रय कीमत की पैकेज पर घोषणा करने की अपेक्षा की गई है वहां फुटकर विक्रय कीमत का इस धारा के प्रयोजनों के लिए तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) जहां किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के पैकेज पर एक से अधिक फुटकर विक्रय कीमत घोषित की जाती है, वहां ऐसी अधिकतम फुटकर विक्रय कीमत के बारे में यह समझा जाएगा कि वह फुटकर विक्रय कीमत है ;

(ख) जहां किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के पैकेज पर विनिर्माण के स्थान से निकासी के समय घोषित फुटकर विक्रय कीमत में फुटकर विक्रय कीमत को बढ़ाने के लिए परिवर्तन किया जाता है वहां ऐसी परिवर्तित फुटकर विक्रय कीमत को फुटकर विक्रय कीमत समझा जाएगा ;

(ग) जहां विभिन्न क्षेत्रों में, पैकेज किए गए रूप में किसी उत्पाद-शुल्क्य माल के विक्रय के लिए भिन्न-भिन्न पैकेजों पर भिन्न- भिन्न फुटकर विक्रय कीमतें घोषित की जाती हैं वहां ऐसी प्रत्येक फुटकर विक्रय कीमत, उस क्षेत्र में जिससे फुटकर विक्रय कीमत संबंधित है, विक्रय किए जाने के लिए आशयित उत्पाद-शुल्क्य माल के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए फुटकर विक्रय कीमत होगी। ' ।

धारा 5क का संशोधन।

130. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की धारा 5क की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित की जाने वाली आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन रहते हुए, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जिस पर उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है उत्पाद-शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी । " ।

धारा 11क का संशोधन।

131. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11क में,—

(क) उपधारा (1) में, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2ख) में, "शुल्क की रकम का संदाय" शब्दों के पश्चात्, " ऐसे शुल्क के अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर या अन्यथा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 11घघ का अंतःस्थापन।

132. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शुल्क से अधिक संगृहीत रकमों पर ब्याज।

"11घघ. (1) जहां इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर, ऐसे माल के क्रेता से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत किया गया है और संदाय किया गया है वहां ऐसा व्यक्ति, जो धारा 11घ की उपधारा (3) के अधीन अवधारित की गई ऐसी रकम का संदाय करने के लिए दायी है, उस रकम के अतिरिक्त दस प्रतिशत से अन्यून किन्तु छत्तीस प्रतिशत से अनधिक वार्षिक की दर से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय नियत किया गया है, उस मास के, जिसमें धारा 11घ की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के अधीन रकम संदत्त की जानी चाहिए थी, आगामी मास के पहले दिन से, ऐसी रकम के संदाय की तारीख तक ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसे मामलों में जहां रकम धारा 37ख के अधीन बोर्ड द्वारा किसी आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने के कारण संदेय हो जाती है और ऐसी संदेय रकम का, किसी पश्चात्वर्ती प्रक्रम में ऐसे संदाय के विरुद्ध अपील करने के किसी अधिकार को सुरक्षित रखे बिना, यथास्थिति, ऐसे आदेश, अनुदेश या निदेश के जारी किए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर स्वैच्छया संदाय कर दिया जाता है वहां कोई ब्याज संदेय नहीं होगा और अन्य मामलों में संपूर्ण रकम पर, जिसके अंतर्गत पहले से संदत्त रकम भी है , ब्याज संदेय होगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां रकम उस तारीख को संदेय हो गई थी या संदत्त की जानी चाहिए थी, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

स्पष्टीकरण 1 — जहां धारा 11घ की उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकम को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा कम कर दिया जाता है वहां उपधारा (1) के अधीन संदेय ब्याज ऐसी कम की गई रकम पर होगा ।

स्पष्टीकरण 2 — जहां धारा 11घ की उपधारा (3) के अधीन अवधारित रकम को, यथास्थिति, आयुक्त (अपील), अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा बढ़ाया या और बढ़ा दिया जाता है वहां उपधारा (1) के अधीन संदेय ब्याज ऐसी बढ़ाई या और बढ़ाई गई रकम पर होगा । " ।

धारा 13 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

133. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

गिरफ्तार करने की शक्ति।

"13. कोई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय है ।" ।

धारा 23क का संशोधन।

134. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23क में,—

(क) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) आवेदक से,—

(i) ऐसा अनिवासी जो किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ii) कोई निवासी जो किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है; या

(iii) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी विदेशी कंपनी है,

अभिप्रेत है, जो भारत में कारबार के क्रियाकलाप का प्रस्ताव करता है और अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन करता है ;';

(ख) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(च) " अनिवासी", " भारतीय कंपनी" और " विदेशी कंपनी" के वही अर्थ हैं जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (30), (26) और (23क) में क्रमशः उनके हैं । '। 1961 का 43

135. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23ग की उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :— धारा 23ग का संशोधन।

1986 का 5

" (घ) इस अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अधीन उत्पाद-शुल्क की बाबत राजपत्र में जारी अधिसूचना और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रभार्य किसी शुल्क का उसी रीति से लागू होना जिस प्रकार इस अधिनियम के अधीन उत्पाद-शुल्क उद्गृहणीय है ;

(ङ) उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण में या उसके संबंध में प्रयुक्त माल पर संदत्त या संदत्त किए गए समझे गए उत्पाद-शुल्क के प्रत्यय की ग्राह्यता । " ।

136. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35छ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 35छ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

" 35छ.(1) 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात् अपील अधिकरण द्वारा अपील में पारित प्रत्येक आदेश से (जो अन्य बातों के साथ, निर्धारण के प्रयोजनों के लिए सीमाशुल्क की दर या माल के मूल्य से संबंध रखने वाले किसी प्रश्न के अवधारण से संबंधित आदेश नहीं है) अपील उच्च न्यायालय को होगी, यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है । उच्च न्यायालय को अपील।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या अपील अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित अन्य पक्षकार, उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा और इस उपधारा के अधीन ऐसी अपील—

(क) उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या अन्य पक्षकार को प्राप्त होता है, एक सौ अस्सी दिन के भीतर फाइल की जाएगी ;

(ख) जहां ऐसी अपील अन्य पक्षकार द्वारा फाइल की जाती है वहां उसके साथ दो सौ रुपए की फीस होगी ;

(ग) अपील के ज्ञापन के रूप में होगी जिसमें अंतर्वलित विधि के सारवान् प्रश्न का सही-सही कथन होगा ।

(3) जहां उच्च न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि किसी मामले में विधि का सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है वहां वह उस प्रश्न को निश्चित करेगा ।

(4) अपील की सुनवाई केवल इस प्रकार निश्चित प्रश्न पर ही की जाएगी और प्रत्यर्थियों को अपील की सुनवाई पर यह तर्क देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है :

परंतु इस उपधारा की कोई बात न्यायालय द्वारा निश्चित न किए गए विधि के किसी अन्य सारवान् प्रश्न पर अपील की, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, न्यायालय की सुनवाई करने की शक्ति को समाप्त या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है ।

(5) उच्च न्यायालय, इस प्रकार निश्चित प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर ऐसे आधारों वाला ऐसा निर्णय देगा जिस पर निर्णय आधारित है और ऐसा खर्च भी दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(6) उच्च न्यायालय, ऐसे किसी भी विवाद्यक का अवधारण कर सकेगा,—

(क) जिसे अपील अधिकरण द्वारा अवधारित नहीं किया गया है ; या

(ख) जिसे विधि के ऐसे प्रश्न पर, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, किसी विनिश्चय के कारण अपील अधिकरण द्वारा गलत अवधारित किया गया है ।

(7) जब कोई अपील उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की जाती है तो उसकी सुनवाई उच्च न्यायालय के कम से कम दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और उसका विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों या ऐसे न्यायाधीशों के बहुमत, यदि कोई हो, की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(8) जहां ऐसा कोई बहुमत नहीं है वहां न्यायाधीश, विधि के उस प्रश्न का उल्लेख करेंगे, जिस पर उनमें मतभेद हैं और तब मामले की उस प्रश्न पर सुनवाई केवल उच्च न्यायालय के एक या अधिक अन्य न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी और ऐसे प्रश्न का विनिश्चय उनके सहित, जिन्होंने प्रथमतः उसकी सुनवाई की थी, उन न्यायाधीशों के, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(9) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उच्च न्यायालय को अपील से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता,

1908 का 5

1908 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन अपीलों के मामले में लागू होंगे ।"।

137. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ज की उपधारा (1) में, "1 जुलाई, 1999 के पश्चात्" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "1 जुलाई, 2003 के पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे । धारा 35ज का संशोधन।

138. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ट में,— धारा 35ट का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जुलाई, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

" (1क) जहां उच्च न्यायालय धारा 35छ के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई किसी अपील में कोई निर्णय देता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति के आधार पर संबंधित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा अपील पर पारित आदेश को प्रभावी किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (2) में, " उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को निर्देश" शब्दों के स्थान पर, " उच्च न्यायालय को निर्देश या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपील" शब्द रखे जाएंगे ।

139. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ठ में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 35ठ का संशोधन।

"(क) किसी मामले में,—

(i) धारा 35छ के अधीन की गई अपील में; या

(ii) 1 जुलाई, 2003 से पूर्व अपील अधिकरण द्वारा धारा 35छ के अधीन किए गए निर्देश पर ; या

(iii) धारा 35ज के अधीन किए गए किसी निर्देश पर,

दिए गए उच्च न्यायालय के किसी निर्णय जिसे उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से या निर्णय के पारित किए जाने के ठीक पश्चात् व्यथित पक्षकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी मौखिक आवेदन पर उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए ठीक मामले के रूप में प्रमाणित करता है; या" ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में नई अनुसूची का अंतःस्थापन ।

140. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पश्चात् पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 57द का संशोधन।

141. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57द में, —

(क) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 324 (अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1996 द्वारा यथा संशोधित उपनियम (5); और

(ख) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122 (अ), तारीख 1 मार्च, 1997 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1997 द्वारा यथा अंतःस्थापित उपनियम (8),

छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति में और उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट उक्त प्रत्येक उपनियम के सामने उक्त अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, उस तारीख तक जिसको वे नियम अधिक्रांत किए गए थे, भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगे और संशोधित हुए समझे जाएंगे और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार संशोधित उक्त उपनियमों के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो इस उपधारा द्वारा संशोधित उपनियम सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रांत होते हुए भी, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और ऐसी शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

(3) ऐसे सभी विनिर्दिष्ट शुल्कों को जिन्हें अननुज्ञात किया गया है किन्तु जिन्हें अननुज्ञात नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होता, के संबंध में प्रत्यय अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) सभी ऐसे विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु संगृहीत नहीं किए गए होते यदि उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होता ।

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन पूंजी माल पर संदत्त विनिर्दिष्ट शुल्क के प्रत्यय के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट शुल्क" का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57 में है ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57च और नियम 57कख का संशोधन।

142. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, —

(क) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 122 (अ), तारीख 1 मार्च, 1997 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1997 के नियम 8 के खंड (क) द्वारा यथा प्रतिस्थापित नियम 57च का उपनियम (12); और

(ख) भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 203 (अ), तारीख 1 मार्च, 2000 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 2000 के नियम 5 द्वारा यथा प्रतिस्थापित नियम 57 कख का उपनियम (1) का खंड (ख),

छठी अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक उक्त उपनियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही उस तारीख तक जिसको वे उपनियम अधिक्रांत किए गए थे, भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएंगे और संशोधित हुए समझे जाएंगे ।

(2) 8 जुलाई, 1999 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात न किए जाने के लिए, किंतु यदि उपधारा (1) द्वारा संशोधन न किया गया होता तो लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात की गई होती, की गई या किए जाने के लिए तात्यर्पित किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई है मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) यथास्थिति, विनिर्दिष्ट शुल्क या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां, किसी न्यायालय में चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी और, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट शुल्क का प्रत्यय या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने की कोई डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, जो लेने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों;

(ख) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट शुल्क या केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के सभी ऐसे प्रत्ययों की, जो लिए और उपयोग किए गए हैं, किंतु जिनका लिया जाना और उपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते, वसूली की जाएगी और इस अवधि के भीतर शुल्कों के ऐसे प्रत्यय के असंदाय की दशा में, वसूलनीय ऐसे शुल्कों के प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संदेय होगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रांत होते हुए भी उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में न होती ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट शुल्क" और " केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय" पदों का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57क और नियम 57कख में है ।

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 3 का संशोधन।

143.(1). केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 445 (अ), तारीख 21 जून, 2001 के अधीन राजपत्र में प्रकाशित उसके नियम 3 के उपनियम (3) का, सातवीं अनुसूची के स्तंभ(2) में विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, उस तारीख तक, जिसको उक्त केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम अधिक्रांत किए गए थे, संशोधित हो जाएंगे और संशोधित किए गए समझे जाएंगे।

(2) 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात न किए जाने के लिए, किंतु यदि उपधारा (1) द्वारा संशोधन न किया गया होता तो लिए जाने या उपयोग किए जाने हेतु अनुज्ञात की गई होती, की गई या किए जाने के लिए तात्पायत किसी कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई है मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां, किसी न्यायलय में चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी और केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर का प्रत्यय अनुज्ञात करने की कोई डिक्री या आदेश का कोई प्रवर्तन नहीं किया जाएगा, जो लेने या उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों ;

(ख) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के सभी ऐसे प्रत्ययों की, जो लिए और उपयोग किए गए हैं, किंतु जिनका लिया जाना और उपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते, वसूली की जाएगी और इस अवधि के भीतर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय के असंदाय की दशा में, वसूलनीय ऐसे केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत की दर से ब्याज संदेय होगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के अधिक्रांत होते हुए भी, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

स्पष्टीकरण 1— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय् नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में न होती।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए "केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय" पद का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 में है ।

केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 का संशोधन।

144. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 के नियम 3 के उपनियम (3) में, भारत सरकार के पूर्ववर्ती वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 835(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2002 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (संशोधन) नियम, 2002 द्वारा अंतःस्थापित किए गए दूसरे परंतुक को 1 मार्च, 2002 से ही प्रभावी हुआ और सदैव प्रभावी रहा समझा जाएगा ।

(2) 1 मार्च, 2002 से ही प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अवधि के दौरान किसी समय केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तदधीन क्नाए गए किन्हीं नियमों के अधीन लिए जाने वाले या उपयोग किए जाने वाले केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय को अनुज्ञात न करने के लिए, जो यदि उपधारा (1) द्वारा संशोधन न किए गए होते, लिए जाने या उपयोग के लिए अनुज्ञात किए गए होते, की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई है मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करने के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में चलाई नहीं जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी और किसी न्यायालय द्वारा लिए जाने या उपयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करने वाली किसी डिक्री या आदेश का इस प्रकार प्रवर्तन नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहे हों ;

(ख) उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय मूल्यवर्धित कर के सभी ऐसे प्रत्यय की, जो लिए और उपयोग किए गए हैं किन्तु लिया जाना और उपयोग किया जाना अनुज्ञात नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते, वसूली की जाएगी और इस अवधि के भीतर ऐसे केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय के असंदाय की दशा में, ऐसे वसूलनीय केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर के प्रत्यय की रकम के अतिरिक्त, उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति की तारीख के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज संदेय होगा ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति होगी और शक्ति होना मानी जाएगी मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति रही हो ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से ऐसा कोई कार्य या लोप अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में न होती ।

स्पष्टीकरण 2— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय" पद का वही अर्थ है जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 में है ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचनाओं का कतिपय अवधि के लिए संशोधन।

145. (1) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 और सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 भूतलक्षी रूप से 8 जुलाई, 1999 से 22 दिसंबर, 2002 (दोनों तारीखें सम्मिलित करते हुए) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएंगी और संशोधित हुई समझी जाएंगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्यवाही या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों में प्रवर्तन में रही हों । 1957 का 58 1978 का 40

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को होगी और सदैव उसके पास रही समझी जाएगी मानो अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से, संशोधित करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को थी । 1957 का 58 1978 का 40

(3) उपधारा (1) के अधीन संशोधन 22 दिसंबर, 2002 को समाप्त होने पर भी, उक्त अधिसूचना के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्यवाही या बात या किए गए किसी लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद नहीं लाया जाएगा या अन्य कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी या उन्हें चालू नहीं रखा जाएगा और ऐसी की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो ।

(4) उपधारा (1) के संशोधन के 22 दिसंबर, 2002 से समाप्त होने पर भी, ऐसे शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों की सभी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या प्रतिदाय कर दी गई हैं किंतु जिनका, यथास्थिति, इस प्रकार संग्रहण किया जाता या प्रतिदाय नहीं किया जाता, यदि इस धारा के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तित रहते, उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूलनीय शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों के संदाय न किए जाने के दशा में तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्वर्ती दिन से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से उस पर ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का उस उपधारा द्वारा भूतलक्षी रूप से संशोधन न किया गया होता ।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी अधिसूचनाओं का संशोधन।

146. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पूर्व वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 और सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 नौवीं अनुसूची के स्तंभ (3) में उनमें से प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही, भूतलक्षी रूप से, संशोधित हो जाएंगी और संशोधित हुई समझी जाएंगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचनाओं के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचनाएं सभी तात्त्विक समयों में प्रवर्तन में रही हों । 1957 का 58 1978 का 40

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति केंद्रीय सरकार को होगी और सदैव उसके पास रही समझी जाएगी मानो अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की धारा 3 की उपधारा (3) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से, संशोधित करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार को थी । 1957 का 58 1978 का 40

(3) उक्त अधिसूचनाओं के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में कोई वाद या अन्य कार्रवाईयां चलाई या जारी नहीं रखी जाएंगी और इस प्रकार की गई किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए लोप के संबंध में किसी डिक्री या आदेश को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किए गए संशोधन सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रहे हों ।

(4) ऐसे शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों की सभी रकमों की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं की गई हैं या प्रतिदाय कर दी गई हैं किंतु जिनका, यथास्थिति, इस प्रकार संग्रहण किया जाता या प्रतिदाय नहीं किया जाता, यदि इस धारा के उपबंध सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तित रहते, उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक, 2003 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूलनीय शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों के संदाय न किए जाने के दशा में तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्वर्ती दिन से संदाय की तारीख तक पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से उस पर ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का उस उपधारा द्वारा भूतलक्षी रूप से संशोधन न किया गया होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 की पहली और दूसरी अनुसूचियों का संशोधन ।

147. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है),—

(क) पहली अनुसूची, दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी ;

(ख) दूसरी अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी ।

1957 के अधिनियम 58 की दूसरी अनुसूची का संशोधन।

148. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में, पैरा 4 के उपपैरा (i) के परंतुक के स्थान पर उस तारीख से जो इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यदि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्षों के दौरान, किसी राज्य में पहली अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित माल के विक्रय या क्रय के संबंध में या उस राज्य की किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उनमें से एक या अधिक के संबंध में कोई कर, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के अनुसार अवधारित ऐसे माल के मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक दर से उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है तो उस वित्तीय वर्ष की बाबत इस पैरा के अधीन कोई राशि उस राज्य को तब तक संदेय नहीं होगी जब तक केंद्रीय सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे ।" ।

1944 का 1

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (चाय और चाय अपशिष्ट) ।

149. (1) चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में विनिर्मित माल हैं, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से अधिभार के रूप में, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, संघ के प्रयोजनों के लिए उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल के संबंध में प्रभार्य किसी अन्य उत्पाद-शुल्कों के अतिरिक्त होगा ।

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उनसे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन ऐसे माल के संबंध में उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।